

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर मुकाम बाड़मेर

शेरखान बनाम कजलदीन वगै.

किस्म 223/17A नं. 12 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/8/19	<p>पत्रावली बाद जंतु जजिल जजिलार पेरा 58। जजिल कर्तार द्वारा 221 RT Act के तहत प्राथमिक डिडी और राफ्त का क्र. 92/2016 के द्वारा शेरखान बनाम कजलदीन नामक ACP पोल्स के विरुद्ध पेरा 58 है। साथ ही स्वगत अपील पत्र भी पेरा 58। प्रकारी दस्त राजस्व किया जाके। वकील जजिलार को एवतरफा कर्त युत्री गरी। मामले का परीक्षा किया गया। जजिलार स्वतंत्र जजिलार न्यायालय में दवा U/S 53 RT Act अधीनत अदालत के पेरा 58 जिनके वादगत मुक्ति में इनके V2 डिस्टिक्ट को प्रमाण करने की स्तुति-पायी। जजिलार प्रीमो के संलग्न वाद में जारी प्राथमिक डिडी वादी के प्रारम्भ वाद के अनुक्रम जारी 58 है जिनके वादगत मुक्ति उप पोल्स के क्र. क्र. 31/01 क्र. 66/13 बीका में तहखानेदारों के प्रमाण बरखा देणु P.D के किराये किने है। एत P.D की अनुपालना में जजिलार तब विभागत प्रभाव तहखाने जजिलार न्यायालय में पेरा 58 है एतविध विभागत पर एतराज का अवाद जजिलार के लिए उपलब्ध है। जजिलार न्यायालय में वद के लिए जजिलार (वादी) एत। कोर्त स्वगत अपील-पत्र भी अनुक्रम नहीं किया। एतराज जजिलार में तहत जारी प्राथमिक डिडी को खारिज करने का कोर्त कामना नहीं है क्योंकि तह जजिलार स्वतंत्र के द्वारा प्रारम्भ वाद में जारी की गरी है। जजिलार को तब विभागत प्रभाव पर कोर्त एतराज है न वद जजिलार न्यायालय में पेरा का स्वतंत्रा है। इतराज विवेक के हिसाब के जजिलार जजिलार कस्बीवाली जारी है। पत्रावली पोल्स मुकाम रोमा नंबर 2 के क्र. 17, राजस्व किया है।</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी